**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**14.12.2018 के**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 614 का उत्‍तर**

**रेलगाड़ियों का विलंब से चलना**

**614. श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि देश में तमाम रेलगाड़ियां अपने तय समय से काफी देरी से चल रही हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार इस स्थिति से निबटने के लिये पिछले पांच सालों से क्या प्रयास कर रही है?

**उत्‍तर**

**संचार मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) एवं**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री मनोज सिन्‍हा)**

(क) यद्यपि अधिकांश गाड़ियां समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं, तथापि कुछ गाड़ियां कभी-कभार विलंबित हो जाती हैं। इसका अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण कारण संकुलन और 100 प्र‍ति‍शत लाइन क्षमता से अधकि यातायात है जो अवसंरचनात्‍मक संवर्धन निर्माण कार्यों के ऐतिहासिक बैकलाग के कारण है। रेलवे इनका समाधान कर रही है। कुछ ऐसे कारण भी हैं जो रेलवे के नियंत्रण से बाहर होते हैं, जैसे कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं - वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बंद के आह्वान और सुरक्षा संबंधी धमकियों के कारण संरक्षा की दृष्टि से परिचालन बनाए रखने के लिए गाड़ियों की गति धीमी करनी पड़ती है, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां (कोहरा, वर्षा, दरारें) जन आंदोलन, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, चक्रवात, भारी वर्षा, बिजली ग्रिड की खराबी, विभिन्न किस्म की कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं, शरारती तत्‍वों द्वारा रेल परिसंपत्तियों की चोरी जैसी गतिविधियां, मवेशियों का कुचला जाना, समपार फाटकों पर भारी सड़क यातायात आदि। अन्‍य कारणों में रेलइंजनों से संबंधित परिसंपत्ति विफलता, शिरोपरि बिजली उपकरण विफलता, रेलपथ विफलता, सिगनल विफलता, मशीनी विफलता आदि, प्रतिवर्ष अधिक यातायात की ढुलाई के लिए अनुरक्षण तथा लाइन एवं टर्मिनल क्षमता बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले ब्लॉक शामिल हैं।

(ख) पैसेंजर ले जाने वाली गाड़ियों के समय पालन पर मंडल, क्षेत्रीय और रेलवे बोर्ड के स्तर पर मंडल रेल प्रबंधकों, महाप्रबंधकों और रेलवे बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दैनिक आधार पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। जब मेल देने वाली गाड़ियां विलंब से चल रही हों तब गाड़ियों का समय पर चालन सुनिश्चित करने के लिए जहां तक परिचालनिक दृष्टि से व्यवहारिक हो, स्क्रैच रैक लगाए जाते हैं और रेकों को मानकीकृत किया जाता है। साथ ही समयपालन में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जैसे परिसंपत्ति की विफलता को न्यूनतम करने के लिए परिसंपत्तियों के निवारक अनुरक्षण की प्राथमिकता का निर्धारण, स्टेशनों पर अतिरिक्त लूप लाइनों का निर्माण, दोहरीकरण, तीसरी लाइन गलियारों का निर्माण करके क्षमता संवर्धन परियोजनाएं, स्वचालित सिगनल प्रणाली, समपारों के स्थान पर कम ऊंचाई वाले सवबे, निचले रेल पुलों (आरयूबी) और ऊपरी सड़क पुलों (आरओबी) आदि का निर्माण। इसके अलावा समय-समय पर समयपालन अभयिान चलाए जाते हैं और गाड़ी परिचालन में जुड़े कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय रेलों को कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए राज्यों के सिविल और पुलिस प्राधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा, रेलवे द्वारा विभिन्न उपाय शुरु किए गए हैं जैसे परंपरागत सवारी डिब्बों के स्थान पर अधिक गति वाले एलएचबी (लिंक हॉफमैन बुश) सवारी डिब्बों का उपयोग, परंपरागत पैसेंजर गाड़ियों का मेमू (मेन लाइन इलैक्ट्रीकल मल्टीपल यूनिट) गाड़ियों से बदलाव आदि।

\*\*\*\*\*